भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3650

17 दिसंबर, 2024 को उत्तरार्थ

विषय: राष्ट्रीय केसर मिशन का कार्यान्वयन

3650. श्री आगा सैय्यद रूहुल्लाह मेहदीः

क्या **कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि राष्ट्रीय केसर मिशन (एनएसएम) के लागू होने के बावजूद वर्ष 2010-23 के बीच कश्मीर में केसर के उत्पादन में 67.5 प्रतिशत की गिरावट आई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है:

(ख) क्या शेर-ए-कश्मीर विश्वविद्यालय द्वारा केसर की खेती के लिए वर्ष 2010 के अध्ययन में चिन्हित अपेक्षित 128 बोरवेल में से केवल 3 बोरवेल ही निर्मित किए गए हैं और यदि हां, तो इस कमी के क्या कारण हैं और शेष अवसंरचना को पूरा करने की समय-सीमा क्या है;

(ग) कश्मीर में केसर की खेती को प्रभावित करने वाले जलवायु परिवर्तन, सिंचाई अवसंरचना और पर्यावरणीय अवक्रमण की चुनौतियों का समाधान करने के लिए सरकार द्वारा क्या विशिष्ट कदम उठाए गए हैं और इसके अब तक क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं; और

(घ) क्या सरकार 400 करोड़ रुपए के कथित व्यय के बावजूद उत्पादन में भारी गिरावट को देखते हुए एनएसएम के कार्यान्वयन और प्रभावकारिता की जांच का आदेश देने पर विचार करेगी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क): जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के वित्तीय आयुक्त (राजस्व) के कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराए गए अनुमानों के अनुसार, जम्मू और कश्मीर में केसर का उत्पादन वर्ष 2010-11 के 8.0 मीट्रिक टन से घटकर वर्ष 2023-24 (तीसरा अग्रिम अनुमान) में 2.7 मीट्रिक टन रह गया है हालांकि, वर्ष 2022-23 से 2023-24 तक पिछले एक वर्ष के दौरान केसर उत्पादन में 8% की वृद्धि हुई है।

(ख): केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के कृषि उत्पादन विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार, स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली वाले 85 बोरवेल अधिकृत किए गए तथा उनके चालू होने की रिपोर्ट प्राप्त हुई।

(ग): कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने वर्ष 2010-11 से जम्मू एवं कश्मीर में केसर क्षेत्र के समग्र विकास के लिए राष्ट्रीय केसर मिशन को क्रियान्वित किया है, जिसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन, सिंचाई अवसंरचना तथा कश्मीर में केसर की खेती को प्रभावित करने वाले पर्यावरणीय क्षरण सहित विभिन्न चुनौतियों का समाधान करना है.

- उत्पादकता में सुधार के लिए मौजूदा केसर क्षेत्र का पुनरुद्धार/पुनःरोपण,
- सिंचाई सुविधाओं के निर्माण के लिए सहायता,
- रोपण सामग्री का उत्पादन (सार्वजनिक क्षेत्र की नर्सरी),
- फसल के उपरांत बेहतर प्रबंधन के माध्यम से उत्पाद की गुणवत्ता में वृद्धि,
- मशीनीकरण,
- मौसम केंद्र/ई-ट्रेडिंग/स्पॉट एक्सचेंज/गुणवत्ता परीक्षण तथा आईएसओ प्रमाणन,
- सार्वजनिक खेतों का अवसंरचना विकास,
- प्रौद्योगिकियों का अंतरण तथा मानव संसाधन विकास।

भारत अंतरराष्ट्रीय कश्मीर केसर व्यापार केंद्र (आईआईकेएसटीसी) और उसके बाद ई-नीलामी सुविधा की शुरूआत से किसानों को स्टिग्मा सेपेरेशन से लेकर ई-मार्केटिंग तक एक ही स्थान पर समाधान प्राप्त हुआ, जिससे निर्बाध सुविधा और बेहतर मूल्य प्राप्ति सुनिश्चित हुई।

इन चुनौतियों से निपटने के लिए जम्मू और कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन द्वारा भी कई कदम उठाए गए हैं:

- जम्मू और कश्मीर जल संसाधन (विनियमन और प्रबंधन) अधिनियम, 2010 और जलवायु परिवर्तन पर राज्य कार्य योजना
- केसर की ऐसी किस्मों के विकास के लिए अनुसंधान और विकास जो पर्यावरणीय चुनौतियों के प्रति अधिक अनुकूल हों
- केसर के खेतों पर उद्योगों के प्रभाव को कम करने के लिए पर्यावरण संबंधी विनियम।

(घ): सरकार ने राष्ट्रीय केसर मिशन के कार्यान्वयन की जांच हेतु कोई आदेश जारी नहीं किया है।

*****